

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 42/2016

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 किस्तूरचन्द पुत्र भीखाजी जाति सुथार निवासी धाणन्दा तहसील बाली		1 ग्राम पंचायत मोकमपुरा जरिये सरपंच 2 पुखराज पुत्र चिमना जाति सुथार निवासी मोकमपुरा तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नितेश माथुर, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

—: निर्णय :-

दिनांक 18/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मोकमपुरा द्वारा मिसल संख्या 57/1983-84, संकल्प संख्या 7 दिनांक 04.06.1984 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पिता भीखा पुत्र चिमना जाति सुथार निवासी धाणन्दा ने अपने पुश्तैनी मकान के पट्टा हेतु आवेदन पेश किया, जिसमें प्रार्थी के पिता के अंगुष्ठ निशान आवेदन पर लगा हुआ है, किन्तु इस आवेदन में ग्राम पंचायत से पुखराज ने मिलीभगत कर विषय एवं मान्यवरजी के बीच एक पंक्ति प्रार्थी श्री पुखराज पुत्र चिमनाजी सुथार निवासी धाणन्दा लिखा दिया, जबकि प्रथम आदेश पंजिका दिनांक 20.09.1983 को यह बात स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी भीखा पुत्र चिमना जी ने अपने रहवासीय मकान का विक्रय विलेख पट्टा की मांग की है। प्रार्थी के पिता के आवेदन पर मिसल कायम की गई। उसके बाद पत्रावली दिनांक 09.10.1983 को पेश होती है, जिसमें सचिव द्वारा नक्शा पेश होना अंकित किया है एवं तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया है। दिनांक 07.11.1983 को मौके की रिपोर्ट आना बताया व उज्रदारी नोटिस जारी करने व म्याद गुजरने के बाद आगामी बैठक में पेश होने के आदेश पारित किये गये। उसके बाद दिनांक 23.01.1986 तारीख लिखना जाहिर किया है, किन्तु अग्रिम कार्यवाही क्या हुई ? अंकित नहीं है। प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में जो सूचना पत्र जारी हुआ है, उसमें भी दो नक्शे दर्शाये हैं, जो आवेदन के अनुरूप नहीं है। आवेदन में जो पडौस दर्शित किये गये हैं, उसके अनुरूप तो आपत्ति पत्र जारी ही नहीं हुआ। ग्राम पंचायत ने नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से पट्टा जारी किया गया है, जबकि ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया कि नियम 266 के तहत किन कारणों से पट्टा जारी किया जावे। ग्राम पंचायत ने विक्रय के सम्बन्ध में अस्थाई निर्णय भी नहीं लिया है। जिस भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थी के दादा चिमना जी की पुश्तैनी भूमि थी, जो



चिमना जी के देहान्त के पश्चात प्रार्थी के पिता भीखा जी व पुखराज के अधिनस्थ रही। इसलिए उक्त भूमि का पट्टा दोनो भाईयों के नाम जारी होना चाहिये था, क्योंकि भीखाजी ने ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसके बाद भीखाजी का देहान्त हो गया, तो उनके विधिक वारिश किस्तूरचन्द व चम्पालाल रहे। इस कारण इस भूमि में किस्तूरचन्द व चम्पालाल का हक अधिकार भी निहित है, जबकि पैतृक भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वयं के नाम पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा भी पंचायती राज नियमों में पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में प्रावधित प्रक्रिया की पालना किये बिना ही, नियमों के विपरित अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 17.09.1983 को प्रार्थी के पिता भीखाराम द्वारा अपने अंगुष्ठ निशान से एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर पुखराज के नाम पट्टा जारी करवाया है, जो उनका भाई है। दिनांक 09.10.1983 को नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने पर तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया है। आवेदन पत्र एवं नक्शे के पडौस, पट्टे में अंकित पडौस से मिलान करते हैं। अन्तिम आदेशिका दिनांक 23.01.1984 को लिखी गई है तथा सम्पूर्ण जांच कर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होने के कारण पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। उक्त भूमि किसी भी रूप में पुश्तैनी नहीं है, अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूमि का मूल्य संदाय किया है। वर्ष 1984 में 33 वर्षों से अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे में अंकित किया है। प्रार्थी को उक्त पट्टा जारी होने की सम्पूर्ण जानकारी थी, किन्तु प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी होने के 33 वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की तथा 33 वर्षों के पश्चात यह निगरानी पेश की है तथा इतनी लम्बी अवधि के पश्चात निगरानी प्रस्तुत करने का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। इस कारण निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। 33 वर्षों के विलम्ब के पश्चात प्रक्रियागत त्रुटी के आधार पर पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में ए0आई0आर0 2000 राज. पेज 89, डी0एन0जे0 (राज.) 2012 (2) पेज 602, एस0सी0सी0 2015 (3) पेज 695 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान पठन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी तहत ग्राम पंचायत, मोकमपुरा द्वारा मिसल संख्या 57/1983-84, संकल्प संख्या 7 दिनांक 04.06.1984 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 के विरुद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी के पिता भीका पुत्र समनाजी सुथार निवासी धाणन्दा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मोकमपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने रहवासी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के नाम पर पुखराज पुत्र चिमनाजी सुथान का नाम भी अंकित है, किन्तु अंगुष्ठ निशान भीखा का लगा हुआ है। इस प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के जो पडौस दर्शाये गये हैं, वह इस प्रकार है कि उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में भील वगता का मकान, पूर्व में गैना पुत्र खगार जी का मकान, पश्चिम में देवा पुत्र चेनाजी सुथार का मकान अंकित किया है। इस आवेदन पत्र के आधार पर



पंचायत में मिसल संख्या 57/83-84 दायर की गई है, जिसकी प्रथम आदेशिका दिनांक 20.09.1983 को लिखी गई है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया कि प्रार्थी श्री भीका पुत्र चिमनाजी सुथार द्वारा अपने रहवासी मकान के विक्रय विलेख की मांग की। इसी दिनांक को सहायक सचिव को नक्शा बनाने के आदेश दिये गये। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 10.10.1983 को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होना अंकित है, जिसमें प्रार्थी द्वारा वांछित भूमि का नक्शा प्रस्तुत होना अंकित करते हुए दो वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 07.11.1983 को पंचायत बैठक में प्रस्तुत होने पर पंचों द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर एक माह का आपत्ति पत्र जारी करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात मिसल में किसी प्रकार की कार्यवाही अंकित नहीं है। आवेदन पत्र में दर्शित पडौस एवं सहायक सचिव द्वारा तैयार किये गये नक्शा के पडौस का मिलान होता है, किन्तु आपत्ति इश्तिहार में अंकित पडौस आवेदन पत्र से मिलान नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में न तो अस्थाई निर्णय लिया गया तथा न ही नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से विक्रय करने हेतु निर्णय पारित किया गया है। बिना किसी निर्णय के ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। मिसल की प्रथम आदेशिका में आवेदन पत्र भीखा द्वारा जारी होना बताया गया है, जबकि मौका निरीक्षण प्रपत्र, पंचों की रिपोर्ट, आपत्ति हेतु जारी सूचना आदि में प्रार्थी के तौर पर पुखराज पुत्र चिमना जी का नाम अंकित है। जब पुखराज द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया, तो पुखराज के नाम से कार्यवाही किस प्रकार से की गई ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्हीं तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 156 (2), 258, 259, 266 की पूर्णतः अवहेलना की गई है। इसके अतिरिक्त नियम 268 के तहत उक्त आवंटन/हस्तान्तरण का अनुमोदन किया जाना भी रेकॉर्ड पर नहीं आया है।



हस्तगत प्रकरण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया गया, इसके बावजूद भी मिसल में अप्रार्थी संख्या 2 का नाम दायर किया गया तथा विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाई गई, इसके अतिरिक्त बिना किसी आदेश के अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया, जो Mis Representation है तथा अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 की मिलावट से किया गया है। अतः पट्टा निरस्त योग्य है। इसके समर्थन में आर०आर०टी० 2004 (2) पेज 921 रंगलाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि "नियमों के विपरित आपसी बातचीत से भूमि निस्तारित की, अति० कलेक्टर ने आवंटन को अवैध घोषित किया तथा पट्टा निरस्त किया। जिसे न्यायोचित माना है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, वे अवश्य सम्माननीय हैं एवं वे पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब के कारण निगरानी को खारिज करने के सम्बन्ध में है। जैसा कि डी०एन०जे० (राज.) 2012 (2) पेज 602 रमेशचन्द बनाम रामचरणसिंह व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan panchayati raj Act 1994-Sec 97 revision to quash the allotment order dt 22-10-1983 and 22-9-1995 inordinate delay of 20 years in filing revision Revisional power should be exercised within a reasonable period Revision filed on 21-6-2005 held, addl. Collector ought to have dismissed the revision on the sole ground of delay." इसके साथ ही यह भी व्यवस्था प्रदान की कि " Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 Sec 97 Exercise of power u/s 97 No limitation prescribed -limitation for Appeal u/ss/ 61 97A and 71 is Provided- Reasonableness of the period cannot be construed to extend several years Order of regularization and allotment challenged in Appeal and it was dismissed on 27-6-2005 and order dt 27-6-2005 become final petitioner,s father and family members were in occupation of the land in question for several years and raised conupation of the land in question for several years and raised construction thereson All requisite payments made-Held Remanding of matter was unwarranted and revision ought to have been dismissed and order pased by Addl Collector is set aside." एस०सी०सी० (2015) 3 पेज 695 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " Addministrative Law -Revision suo motu power limitation period for exercise of where no limitation period is prescribed under statute power should be exericed within reasonable period reasonableness of period is to be determined Having regard to lapse of time between knowledge of alleged fraud of irregularity and eercise of power in notice issued to person affectd specific statment should be made as to when alleged fraud or illegality came to be discovered Unxplained inordinate delay (about 50 Years in thes case) in invocation of power would itself tantamount to fraud upon statute, is arbitrary and opposed to rule of law Hence such revisional proceedings, held, rightly rightly quashed by High Court Tenancy and land Laws andhra Pradesh (Telangana Area) Land Revenue Act. 1317 F(8 of 1317 f) S.116 B Suo Motu exrcise of revisional Power of correct khasra entires after long lapes of time - Validity constitution of India Art. 14"

इसके अतिरिक्त आर०एल०आर० 2000 (2) चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में भी वृहदपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "No Period of Limitation provided either u/s 27-A of the Act or u/R272 og the Rules for



exercising revisional power—Whether revisional power can be exercised at any time – Held, when no period of limitation is provided either under Act or Rules then power has to be exercised within reasonable time and reasonable time will depend upon facts and circumstances of each case ” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त कारण को परीक्षित किया जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में बिना अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न तो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया, इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना किसी आदेश के अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा अंकित करते हुए उसकी पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, तो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार से की गई कार्यवाही को चुनौती देने हेतु किसी प्रकार की समय सीमा प्रावधित नहीं है। आरम्भ से ही शून्य प्रभावी दस्तावेज को किसी भी समय अपास्त किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए पंचायत कोरम के आदेश के बिना ही अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा अंकित करते हुए पट्टा जारी किया गया है, जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, मोकमपुरा द्वारा मिसल संख्या 57/1983-84, संकल्प संख्या 7 दिनांक 04.06.1984 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत मोकमपुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली